मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल–462004

क्रमांक 437/486/2019/सात/ (8)

भोपाल दिनांक 17/10/2019

प्रति,

1 समस्त संभागायुक्त,
मध्यप्रदेश।

2 समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः– मृत पशुओं का पोस्टमार्टम नही होने तथा पंचनामें के आधार पर आर्थिक सहायता देने संबंधी।

विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा संशोधित राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 दिनांक 01 मार्च 2018 से प्रभावशील है, जिसमें प्राकृतिक प्रकोपों से हुई फसल क्षति, मकान क्षति, जनहानि, पशुहानि एवं अन्य क्षतियों के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करने संबंधी प्रावधान है।

2/ वर्तमान में आर.बी.सी. 6–4 की कंडिका (2) (क) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार पशु हानि के लिये देय सहायता राशि वास्तविक क्षति की आंकलन तक सीमित होगी। वास्तविक क्षति का आंकलन पशुधन विभाग के क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

3/ उक्त कंडिका में उल्लेखित प्रावधान को स्पष्ट करते हुये यह व्यवस्था की जाती है कि पशु हानि के मामले में आवेदन मात्र **FIR/** पोस्टमार्टम के अभाव में अस्वीकृत नही किया जायेगा। पशु हानि के प्रकरणों में राजस्व अधिकारी द्वारा स्थल जॉच/मौके के पंचनामा, परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं पशुपालन विभाग के प्रमाणीकरण के आधार पर प्राकृतिक आपदा से पशु के मृत होने की पुष्टि होने पर प्रकरण स्वीकृत किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग

पृ0क्र0 438/486/2019/सात/ (8)
प्रतिलिपिः–

भोपाल दिनांक 17/10/2019

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश,भोपाल।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन,समस्त विभाग।
4. निज सचिव,समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण मध्यप्रदेश।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
8. महालेखाकार, मध्यप्रदेश,ग्वालियर।
9. संयुक्त संचालक, जन संपर्क, वल्लभ भवन,भोपाल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग

Scanned by CamScanner